NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 05-11-2024

विषय सूची

शी-बॉक्स पोर्टल (SHe-Box Portal)

क्या जाति जनगणना एक उपयोगी प्रक्रिया है?

राज्यसभा ने बॉयलर विधेयक पास किया

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में महिला कार्मिक

कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा

महत्वपूर्ण कृषि उपकरण के रूप में परमाणु प्रौद्योगिकी

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता विफल

संक्षिप्त समाचार

भारत में लेविरेट विवाह (Levirate Marriages)

झील-प्रभावित हिमपात (Lake effect snow)

मिशन शक्ति का संबल कार्यक्षेत्र

नेपाल, चीन ने BRI सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये

ब्रेन रॉट (Brain Rot)

अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक (HPI)

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए (Extrachromosomal DNA)

MH-60R हेलीकॉप्टर

राफेल-मरीन (राफेल-ड)

दक्षिण कोरिया

शी-बॉक्स पोर्टल (SHe-Box Portal)

सन्दर्भ

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में SHe-Box पोर्टल लॉन्च किया है।

परिचय

- यह एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (SH अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह देश भर में विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार प्रदान करेगा।

SHe-Box पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं:

- **नोडल अधिकारी:** यह प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान करता है, जिसे शिकायतों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए नियमित आधार पर डेटा/सूचना का अद्यतन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **शिकायत दर्ज करना:** पोर्टल पर शिकायत किसी पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है।
- **निगरानी:** इसमें दायर, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या देखने के लिए केंद्र / राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों के लिए एक निगरानी डैशबोर्ड है।
- **गोपनीयता:** पोर्टल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह गोपनीयता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता के विवरण को छुपाता है।
    - IC/ LC के अध्यक्ष को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति पंजीकृत शिकायत का विवरण या प्रकृति नहीं देख सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" (SH अधिनियम)

प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:** अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रयास, यौन संबंधों की मांग, यौन टिप्पणी और कोई अन्य अनुचित व्यवहार।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन को एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करनी होगी।
    - समिति का नेतृत्व एक महिला द्वारा किया जाना चाहिए और इसमें कम से कम एक बाहरी सदस्य शामिल होना चाहिए, जैसे कि महिलाओं के मुद्दों पर विशेषज्ञ या एक NGO प्रतिनिधि।
- **शिकायत तंत्र:** महिलाएं तीन माह के अंदर शिकायत दर्ज कर सकती हैं, और ICC को उन्हें 90 दिनों के भीतर हल करना होगा।
- **गोपनीयता:** शिकायतों और जांच को गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- **नियोक्ता की जिम्मेदारी:** नियोक्ता को निवारक उपाय करने चाहिए, प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए और शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- **निवारण:** यदि उत्पीड़न साबित हो जाता है, तो अपराधी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, और पीड़ित को मुआवजा दिया जा सकता है।
- **कोई प्रतिशोध नहीं:** शिकायतकर्ता या गवाहों के खिलाफ प्रतिशोध निषिद्ध है। किसी भी प्रतिशोध या उत्पीड़न को कानून के तहत एक अलग उल्लंघन माना जा सकता है।

- **दंड:** SH अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप नियोक्ताओं को दंड देना पड़ सकता है।

महत्व

- **महिलाओं का सशक्तिकरण:** यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सहायता देकर महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **सुरक्षित कार्यस्थल:** यह सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण के निर्माण को बढ़ावा देता है, महिलाओं को कार्यबल में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियां

- **जागरूकता की कमी:** कई कर्मचारी अपने अधिकारों और निवारण के लिए उपलब्ध तंत्र से परिचित नहीं हैं।
- **कम रिपोर्टिंग:** मुख्य रूप से प्रतिशोध के भय या सिस्टम में विश्वास की कमी के कारण अभी भी कुछ सीमा तक कम रिपोर्टिंग हो रही है।
- **अप्रभावी कार्यान्वयन:** कुछ संगठनों में, आंतरिक शिकायत समितियों का निर्माण और उनकी कार्यप्रणाली आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है।

निष्कर्ष

- SH अधिनियम, 2013 भारत में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जबकि अधिनियम यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए व्यापक प्रावधान देता है, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों से जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थल उत्पीड़न से मुक्त हैं।
- SHe-Box पोर्टल सुरक्षित कार्यस्थलों को सुनिश्चित करने और पीड़ित महिलाओं को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक विश्वसनीय तंत्र प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

Source: PIB

क्या जाति जनगणना एक उपयोगी प्रक्रिया है?

सन्दर्भ

- राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जैसे संगठनों के समर्थन से जाति जनगणना की मांग ने गति पकड़ ली है।

जाति जनगणना क्या है?

- जाति जनगणना में विभिन्न जाति समूहों की जनसंख्या के आकार और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर डेटा एकत्र करना शामिल है।
- अधिवक्ताओं का मानना है कि यह जातिगत अनुपात के आधार पर सरकारी रोजगारों, भूमि और अन्य संसाधनों का समान वितरण प्रदान करने में सहायक हो सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- पहली विस्तृत जाति जनगणना 1871-72 में बंगाल और मद्रास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित की गई।
  - हालाँकि, मनमाने वर्गीकरण से भ्रम उत्पन्न हुआ, जैसा कि 1881 की जनगणना रिपोर्ट में डब्ल्यू. चिचेले प्लॉडेन ने उल्लेख किया था।

- **1931 जाति जनगणना:** इसमें 4,147 जातियों की पहचान की गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में एक ही जाति द्वारा अलग-अलग पहचान का दावा करने जैसी चुनौतियाँ सामने आईं।
- **स्वतंत्रता के बाद:** 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) ने महत्वपूर्ण त्रुटियों वाली 46.7 लाख से अधिक जातियों/उपजातियों की पहचान की।

जाति जनगणना के लिए अनिवार्यताएँ

- **जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को समझना:** यह नीति निर्माताओं को संसाधन आवंटन में अंतराल की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
- **आरक्षण नीतियों पर दोबारा गौर करना:** वर्तमान आरक्षण नीतियां 1931 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं।
    - एक ताज़ा जाति जनगणना निष्पक्षता और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए, कोटा प्रणाली को तर्कसंगत और अद्यतन कर सकती है।
- **हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाना:** राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों और उप-जातियों की उपस्थिति को मान्यता देता है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** सटीक जाति डेटा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का मार्गदर्शन कर सकता है और विधायी निकायों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है।

सटीक डेटा संग्रहण की चुनौतियाँ

- **ऊंची जाति की गतिशीलता के दावे:** उत्तरदाता कुछ जातियों से जुड़ी प्रतिष्ठा के कारण उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करते हैं। 1921 और 1931 की जनगणना के बीच, कुछ समूहों ने स्वयं को उच्च जातियों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया।
- **निचली जाति की गतिशीलता के दावे:** स्वतंत्रता के बाद, आरक्षण नीतियों के लाभों ने कुछ लोगों को स्वयं को निचली सामाजिक श्रेणियों से संबंधित बताने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- **जाति गलत वर्गीकरण:** विभिन्न क्षेत्रों में समान ध्वनि वाले उपनामों के परिणामस्वरूप प्रायः त्रुटियां होती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ गलतबयानी और असमान संसाधन आवंटन को जन्म देती हैं।
- **समुदायों के अंदर जाति के दावों की बहुलता:** एक ही नाम वाले समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग वर्ण या जाति की पहचान का दावा कर सकते हैं।
    - उदाहरण: एक क्षेत्र में सोनारों की पहचान क्षत्रिय या राजपूत के रूप में की गई, जबकि दूसरे में, उनकी पहचान ब्राह्मण या वैश्य के रूप में की गई।
- **प्रगणकों की विषयपरकता:** जातिगत पदानुक्रम के बारे में जानकारी की कमी या पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण जनगणना अधिकारी अनजाने में उत्तरदाताओं को गलत वर्गीकृत कर देते हैं।
    - उदाहरण: 2022 में बिहार जाति जनगणना के दौरान, जाति वर्गीकरण में 'हिजड़ा' और 'किन्नर' जैसी अस्पष्ट श्रेणियों को शामिल करने पर विवाद उठे।

आगे की राह

- जनगणना के संचालन के लिए एक मजबूत और पारदर्शी ढांचा स्थापित करें, जिसमें डेटा सटीकता के लिए AI और मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी समाधान शामिल हों।
- सटीक जानकारी प्रदान करने के महत्व के बारे में उत्तरदाताओं को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।
- समान-ध्वनि वाले उपनामों और ओवरलैपिंग पहचानों पर भ्रम को हल करने के लिए राज्यों में जाति वर्गीकरण का मानकीकरण करें।

- समय-समय पर अशुद्धियों को ठीक करने के लिए एकत्रित डेटा की आवधिक समीक्षा और सत्यापन के लिए तंत्र का परिचय दें।

Source: TH

राज्यसभा ने बॉयलर विधेयक पास किया

समाचार में

- बॉयलर विधेयक, 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जो 1923 के बॉयलर अधिनियम का स्थान लेता है, जो औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियमित किया गया था।

क्या आप जानते हैं ?

- बॉयलर को एक बर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दबाव में भाप उत्पन्न होती है।
- बॉयलरों को संविधान की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिसका अर्थ है कि संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों उन पर कानून बना सकती हैं।

विधेयक की पृष्ठभूमि

- बॉयलर अधिनियम, 1923 स्टीम बॉयलरों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को नियंत्रित करता है।
- बॉयलर अधिनियम, 1923 सुरक्षा पर केंद्रित है और इसे वर्तमान जरूरतों को प्रतिबिंबित करने और जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत अपराधमुक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जा रहा है।
- स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षणों को शामिल करने के लिए बॉयलर अधिनियम, 1923 में 2007 में संशोधन किया गया था, लेकिन आगे की समीक्षा की आवश्यकता थी।
- इसलिए, स्पष्टता के लिए बॉयलर विधेयक, 2024 को आधुनिक प्रारूपण प्रथाओं के अनुसार फिर से तैयार किया गया है।

बॉयलर विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएं

- **बॉयलरों का विनियमन:** विधेयक बॉयलरों के निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को नियंत्रित करता है।
  - संचालन से पहले पंजीकरण आवश्यक है, वार्षिक नवीकरणीय।
  - केंद्रीय बॉयलर बोर्ड नियम बना सकता है, और राज्य सरकारें निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं।
- **छूट:** विशिष्ट क्षमता या उपयोग वाले बॉयलरों को छूट दी गई है (उदाहरण के लिए, 25 लीटर से कम या 1 किग्रा/सेमी^{2} दबाव से कम)।
  - राज्य आपातकालीन स्थिति में या तीव्र औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए बॉयलरों को छूट दे सकता है।
- **अपराध और दंड:** अनुमोदन के बिना बॉयलर बदलने या सुरक्षा वाल्वों के साथ छेड़छाड़ जैसे अपराधों के लिए दंड। जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा हो सकती है।
- **सुरक्षा और एकरूपता:** विधेयक का उद्देश्य बॉयलर विस्फोटों से सुरक्षा सुनिश्चित करना और पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- **गैर-अपराधीकरण प्रावधान:** जन विश्वास अधिनियम, 2023 से गैर-अपराधीकरण उपायों को शामिल किया गया है।

- गैर-आपराधिक अपराधों के लिए जुर्माने को दंड से बदल दिया गया है, जुर्माना अदालतों के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाया गया है।
- विवाद समाधान के लिए नए खंड 35 (न्यायनिर्णयन) और 36 (अपील) जोड़े गए हैं।

महत्त्व

- विधेयक का उद्देश्य निर्माण, दबाव विनिर्देशों, पंजीकरण और आवधिक निरीक्षण के मानकों सहित पूरे भारत में नियमों में एकरूपता सुनिश्चित करके औद्योगिक बॉयलरों का उपयोग करने वाले कारखानों में सुरक्षा बढ़ाना है।
  - बॉयलर विस्फोटों को रोकने और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह विधेयक गैर-अपराधीकरण प्रावधानों को शामिल करके बॉयलर उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से MSME क्षेत्र को लाभान्वित करता है।

प्रमुख मुद्दे

- **प्रावधानों से छूट:** विधेयक राज्य सरकारों को सुरक्षा से समझौता करने वाले कुछ क्षेत्रों को छूट देने की अनुमति देता है।
- **अपील तंत्र का अभाव:** केंद्र सरकार या निरीक्षकों द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए कोई न्यायिक अपील नहीं; अपील केवल उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से की जा सकती है।
- **निरीक्षकों के लिए प्रवेश शक्तियाँ:** निरीक्षकों के पास परिसर में प्रवेश करने की शक्तियाँ हैं, लेकिन समान कानूनों के विपरीत, कोई सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट नहीं हैं।
- **अनुपालन का सरलीकरण:** कुछ राज्य बॉयलरों के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति देते हैं, लेकिन विधेयक में यह सुविधा शामिल नहीं है।
  - विधेयक निरीक्षण या परिवर्तन और मरम्मत के अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- बॉयलर विधेयक, 2024, बॉयलर के लिए भारत के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
- सुरक्षा बढ़ाने के उपायों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों और जनता का कल्याण सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक विकास का समर्थन करना है।
- इसके कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय मानकों, न्यायिक निष्पक्षता और लगातार प्रवर्तन से समझौता करने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

Source: ET

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में महिला कार्मिक

सन्दर्भ

- हाल ही में, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि 2025 में CAPFs और असम राइफल्स में 4,138 महिला कर्मियों की भर्ती होने की संभावना है।

ऐतिहासिक सन्दर्भ: CAPFs में महिलाएँ

- CAPFs में महिलाओं की यात्रा 20वीं सदी के अंत में शुरू हुई, CRPF 1986 में महिलाओं को शामिल करने वाला पहला संगठन था। प्रारंभ में, उनकी भूमिकाएं सहायता और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित थीं।
- हालाँकि, बदलते सामाजिक मानदंडों और महिलाओं की क्षमताओं की पहचान के साथ, उनकी भागीदारी का विस्तार युद्ध और परिचालन भूमिकाओं तक हो गया है।

Central Armed Police Forces (CAPF)

- These play a crucial role in maintaining internal security and border protection, and work under the **Union Home Ministry.**
- These include seven paramilitary forces, namely:
  - *Assam Rifles*
  - *Border Security Force (BSF)*
  - *Indo-Tibetan Border Police (ITBP)*
  - *Sashastra Seema Bal (SSB)*
  - *Central Industrial Security Force (CISF)*
  - *Central Reserve Police Force (CRPF)*
  - *National Security Guard (NSG) special task force.*

वर्तमान स्थिति/प्रतिनिधित्व

- वर्तमान में 9.48 लाख-मजबूत CAPFs और असम राइफल्स में महिलाएं 4.4% हैं।
  - 2014 से 2024 तक 10 वर्षों में CAPFs में महिला कर्मियों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई, जबकि प्रतिशत कम रहा।
- CISF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 7.02% है, इसके बाद SSB (4.43%), BSF (4.41%), ITBP (4.05%), असम राइफल्स (4.01%) और CRPF (3.38%) का स्थान है।
- वे अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सीमा पर गश्त, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हैं।

कम प्रतिनिधित्व के कारण

- **सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ:** पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ और सामाजिक अपेक्षाएँ प्रायः महिलाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने से हतोत्साहित करती हैं।
- **भर्ती और प्रतिधारण मुद्दे:** नीतिगत उपायों के बावजूद, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को कम महिला आवेदकों और उच्च रोजगार छोड़ने की दर सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- **कार्य का वातावरण:** रोजगार की मांग वाली प्रकृति, जिसमें बार-बार स्थानांतरण और दूरदराज के क्षेत्रों में पोस्टिंग शामिल है, महिलाओं के लिए कम आकर्षक हो सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ:** अलग आवास और स्वच्छता जैसी अपर्याप्त सुविधाएँ महिलाओं को बलों में शामिल होने और रहने से रोक सकती हैं।

प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास

- **आरक्षण नीतियां:** 2016 में, सरकार ने CRPF और CISF में सभी कांस्टेबल स्तर के पदों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए और BSF, SSB और ITBP जैसे सीमा सुरक्षा बलों में 14-15% आरक्षित करने का निर्णय लिया।
- **भर्ती के प्रयास:** CISF में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई है।
  - 2025 में, अतिरिक्त 4,138 महिलाओं की भर्ती होने की उम्मीद है, जिसमें BSF को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा।
- एक संसदीय समिति ने महिलाओं को CAPFs में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदमों की सिफारिश की है, जिसमें 'सॉफ्ट पोस्टिंग' प्रदान करना और उन्हें अत्यधिक कठिन कामकाजी परिस्थितियों में न रखना शामिल है।
- समिति ने CAPFs में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की खोज करने का सुझाव दिया।

निष्कर्ष

- इन महत्वपूर्ण क्षमताओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बेहतर भर्ती रणनीतियों, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और सामाजिक परिवर्तन सहित निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

Source: IE

कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा

सन्दर्भ

- केंद्र ने "कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा" का एक मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में सहायता करना है।

परिचय

- कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) ने DA&FW के अतिरिक्त सचिव (विपणन) फैज़ अहमद किदवई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया।
- मसौदा समिति ने कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा तैयार किया है।

राष्ट्रीय नीति ढांचे की प्रमुख विशेषताएं

- इसने कृषि विपणन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य कृषि विपणन मंत्रियों की एक सशक्त कृषि विपणन सुधार समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है।
- राज्यों में कर नीतियों को सुसंगत बनाने और एकीकृत कर व्यवस्था बनाने में GST परिषद की सफलता इस नई पहल के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है।
- **समिति की संरचना:** अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता किसी भी राज्य के कृषि मंत्री द्वारा बारी-बारी से की जा सकती है और शेष राज्यों के कृषि मंत्री इसके सदस्य होंगे।
- **आपूर्ति श्रृंखला सुधार:** इसमें निजी थोक बाजारों, प्रोसेसरों और निर्यातकों द्वारा सीधी खरीद, तथा गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड के रूप में घोषित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
    - ये उपाय आपूर्ति श्रृंखला में मध्यस्थों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर रिटर्न मिले।
- **मूल्य बीमा योजना:** यह किसानों को मूल्य दुर्घटना से बचाने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधार पर एक मूल्य बीमा योजना का प्रस्ताव करती है।
    - इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है।

कृषि विपणन क्या है?

- कृषि का तात्पर्य सामान्यतः फसलों और पशुधन को बढ़ाना और/या बढ़ाना है, जबकि विपणन में वस्तुओं को उत्पादन के बिंदु से उपभोग के बिंदु तक ले जाने में शामिल गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है।
- इसमें कृषि वस्तुओं की योजना, उत्पादन, परिवहन, प्रसंस्करण और वितरण शामिल है।
- लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद उचित मूल्य पर बाजार की मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचें।
- संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 28 के तहत कृषि विपणन एक राज्य का विषय है।

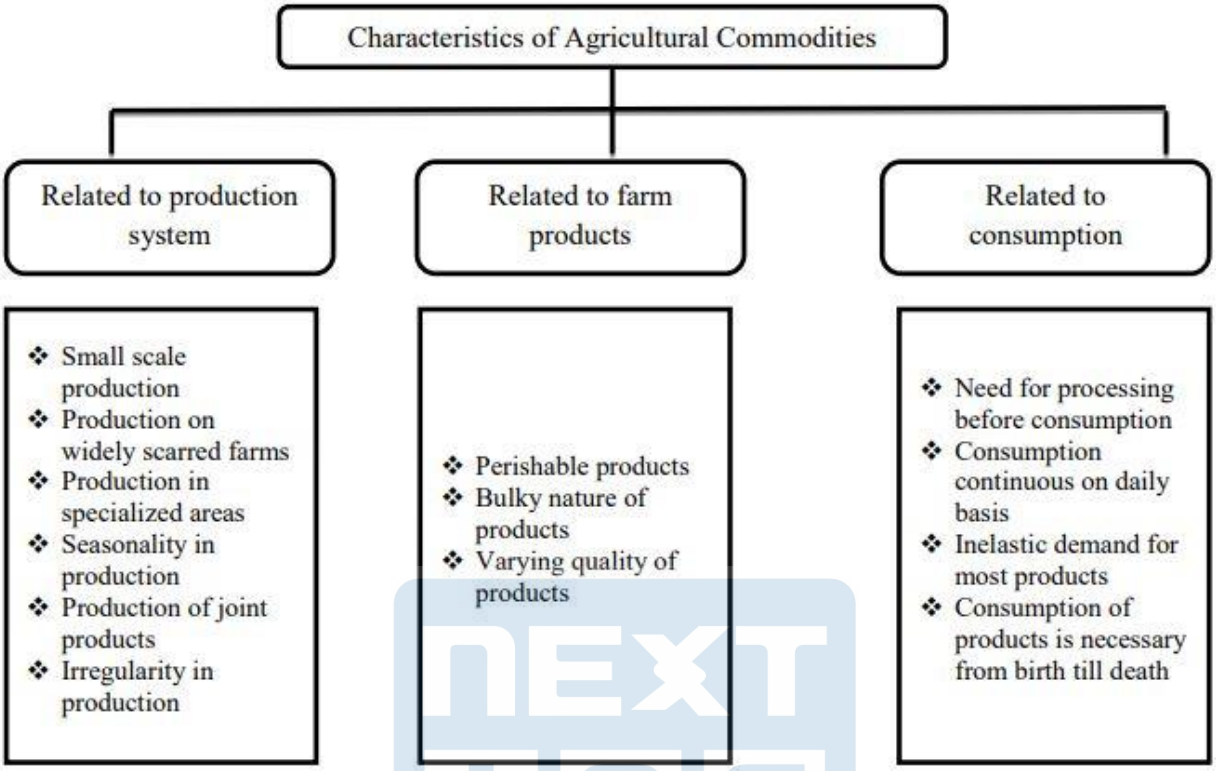

भारत में कृषि विपणन के समक्ष चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** खराब परिवहन, भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाओं के कारण फसल कटाई के बाद भारी हानि होती है और वितरण में अक्षमताएँ होती हैं।
- **खंडित बाजार:** संगठित बाजारों की कमी और कई मध्यस्थों पर निर्भरता से लागत बढ़ती है और किसानों का लाभ मार्जिन कम हो जाता है।
- **मूल्य में उतार-चढ़ाव:** बाजार में अस्थिरता के कारण किसानों को प्रायः अप्रत्याशित कीमतों का सामना करना पड़ता है, जिससे आय अस्थिरता होती है।
- **सीमित बाज़ार पहुंच:** छोटे पैमाने के किसानों को दूर या संगठित बाज़ारों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उचित मूल्य पर बेचने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **बाज़ार की जानकारी का अभाव:** किसानों को प्रायः कीमतों, मांग के रुझान और गुणवत्ता मानकों के बारे में समय पर जानकारी का अभाव होता है, जिससे निर्णय लेने में बाधा आती है।
- **सीमित ऋण और वित्तीय सहायता:** परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए किफायती ऋण तक पहुँचने में कठिनाई विकास और लाभप्रदता को सीमित करती है।
- **अपर्याप्त मूल्यवर्धन:** प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में कम निवेश से कच्चे, असंसाधित माल का निर्यात कम कीमतों पर होता है।

भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकारी पहल:

- **पीएम-आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) 2018:** किसानों को मूल्य समर्थन, मूल्य कमी भुगतान और निजी खरीद योजनाओं के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने की एक योजना।
- **कृषि उपज बाजार समिति (APMC) सुधार:** मध्यस्थों को कम करने के लिए राज्यों को प्रत्यक्ष बिक्री और निजी बाजार भागीदारी के लिए APMC अधिनियमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

- **E-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार):** पारदर्शी व्यापार और बेहतर मूल्य खोज को सक्षम करने के लिए मंडियों को एकीकृत करने वाला एक ऑनलाइन मंच।
- **किसान रेल योजना:** खराब होने वाले सामानों के परिवहन, बाजार पहुंच में सुधार और परिवहन लागत को कम करने के लिए समर्पित ट्रेनें।
- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF):** भंडारण, प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **एक राष्ट्र, एक बाजार:** बाधाओं को दूर करके और E-NAM प्लेटफॉर्म को मजबूत करके निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार का लक्ष्य।
- **FPO (किसान उत्पादक संगठन) संवर्धन:** सौदेबाजी की शक्ति और बाजार संपर्क में सुधार के लिए किसान सहकारी समितियों का समर्थन करना।
- **कृषि-स्टार्टअप के लिए समर्थन:** वित्तीय और परामर्श समर्थन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवाचार और नए बाजार समाधानों को प्रोत्साहित करना।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति:** MSP प्रणाली का उद्देश्य किसानों को यह सुनिश्चित करके सुरक्षा जाल प्रदान करना है कि उन्हें उनकी फसलों के लिए मिलने वाली कीमत उत्पादन लागत से ऊपर है।

निष्कर्ष

- सरकार के कृषि विपणन सुधारों का उद्देश्य अक्षमताओं को दूर करना, मध्यस्थों के प्रभाव को कम करना और किसानों को बेहतर आय के अधिक अवसर प्रदान करना है।
- इन सुधारों को किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहतर बाजार पहुंच, उचित मूल्य निर्धारण तंत्र एवं नवीन समाधान प्रदान करके खेती को अधिक लाभदायक तथा सतत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Source: IE

महत्वपूर्ण कृषि उपकरण के रूप में परमाणु प्रौद्योगिकी

सन्दर्भ

- 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण सुविधाएं स्थापित करने की भारत की पहल सतत कृषि सुनिश्चित करने में इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

परिचय

- परमाणु प्रौद्योगिकी कृषि और खाद्य उत्पादन में एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरी है।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने IAEA वैज्ञानिक फोरम 'Atoms4Food' का आयोजन किया।
    - विभिन्न देशों के वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से परमाणु प्रौद्योगिकियों का उपयोग कृषि और खाद्य उत्पादन में किया जा रहा है।

कृषि में परमाणु प्रौद्योगिकी

- **माइक्रोबियल नियंत्रण:** विकिरण प्रभावी रूप से उन सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है जो खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, जिससे कृषि उपज का शेल्फ जीवन बढ़ जाता है।
    - वाशी और नासिक में भारत की विकिरण सुविधाएँ फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण हैं।

- **विकिरण-प्रेरित उत्परिवर्तन:** यह गुणसूत्र स्तर पर आनुवंशिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए विकिरण का उपयोग करता है, जिससे उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु अनुकूलन क्षमता वाली फसल किस्मों का विकास संभव होता है।
- **फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड (FRN) तकनीक:** यह विधि मिट्टी के कटाव को मापती है और व्यापक मृदा पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में सहायता करती है।
- **कॉस्मिक-रे न्यूट्रॉन सेंसर (CRNS) तकनीक:** CRNS बड़े पैमाने पर मिट्टी की नमी को मापने की अनुमति देता है, जो कुशल सिंचाई योजना के लिए महत्वपूर्ण है।
- **रेडियोइम्यूनोसे (RIA) तकनीक:** RIA पशुधन में प्रजनन हार्मोन की निगरानी, प्रजनन क्षमता में सुधार और कृत्रिम गर्भाधान के लिए इष्टतम समय की पहचान करने में सहायता करता है।
- **स्टेराइल कीट तकनीक (SIT):** SIT में कीटों की संख्या को कम करने के लिए कीटों को बाँझ बनाना और छोड़ना शामिल है।
- **आइसोटोपिक ट्रेसिंग:** नाइट्रोजन-15 ट्रेसिंग जैसी तकनीकें फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का आकलन करती हैं, उर्वरक के उपयोग को अनुकूलित करती हैं और टिकाऊ फसल पोषण और जल प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं।
- **खाद्य प्रामाणिकता के लिए परमाणु विधियाँ:** ये विधियाँ खाद्य उत्पादों की भौगोलिक उत्पत्ति और प्रामाणिकता को सत्यापित करती हैं, जिससे वैश्विक खाद्य बाजार में गुणवत्ता और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित होता है।

कृषि में परमाणु प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ

- **उच्च आरंभिक लागत:** विकिरण केंद्र या आइसोटोपिक ट्रेसिंग प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे विकासशील देशों और छोटे किसानों के लिए यह कम सुलभ हो जाता है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** परमाणु सामग्री या रेडियोधर्मी अपशिष्ट का कुप्रबंधन पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करता है।
- **छोटे किसानों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता:** परमाणु प्रौद्योगिकी से जुड़ी लागत छोटे और सीमांत किसानों के लिए निषेधात्मक हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निर्भरताएँ:** कुछ परमाणु प्रौद्योगिकियों के लिए IAEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग या आयातित उपकरणों और आइसोटोप पर निर्भरता की आवश्यकता होती है, जिससे विकासशील देशों में कार्यान्वयन में देरी होती है।
- **नैतिक मुद्दे:** विकिरण-प्रेरित उत्परिवर्तन जैसी तकनीकों का उपयोग नैतिक चिंताओं को उत्पन्न करता है, विशेष रूप से आनुवंशिक संशोधनों के संबंध में।

आगे की राह

- परमाणु प्रौद्योगिकी खाद्य सुरक्षा, मृदा क्षरण और कीट नियंत्रण जैसी कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करती है।
- परमाणु समाधानों को पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ एकीकृत करने से इस क्षेत्र में स्थिरता, उत्पादकता और लचीलापन सुनिश्चित करने की क्षमता है।

Source: BL

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता विफल

सन्दर्भ

- संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की पांचवीं बैठक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए बिना ही समाप्त हो गई।

परिचय

- कोरिया गणराज्य के 170 से अधिक देश समुद्री प्रदूषण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि पर वार्ता कर रहे थे।
- **उद्देश्य:** संधि का उद्देश्य देशों को प्लास्टिक और प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन में कटौती करना है।

पृष्ठभूमि

- 2022 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।
  - 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक वैश्विक संधि को अपनाने के लिए मतदान किया - एक त्वरित समय सीमा पर सहमति व्यक्त की ताकि संधि को 2025 तक लागू किया जा सके।
- इसके परिणामस्वरूप अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) का गठन हुआ, जिसे 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता विकसित करने का कार्य सौंपा गया।
- 2022 से, INC ने उरुग्वे, फ्रांस, कनाडा और केन्या में चार सत्र आयोजित किए हैं।

वार्ता क्यों विफल रही?

- चर्चाओं में दो गुटों के बीच तीखी फूट देखने को मिली – लगभग 100 देशों का एक बड़ा गठबंधन जो प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा लगाना चाहता था, और तेल उत्पादक देशों का एक छोटा समूह जो केवल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था।
- दोनों गुटों के बीच समझौता न हो पाने के कारण, सम्मेलन का समापन बाद में फिर से मिलने के समझौते के साथ हुआ।

भारत का दृष्टिकोण

- **विकासशील देशों को सहायता:** किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि में वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विकासशील देशों को सहायता की आवश्यकता को मान्यता दी जानी चाहिए।
- **प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना:** प्राथमिक पॉलिमर का उत्पादन सीधे प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ा नहीं था और पॉलिमर या प्लास्टिक उत्पादन से संबंधित कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, इसने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।
- **प्लास्टिक प्रदूषण शुल्क नहीं:** इसने प्राथमिक पॉलिमर के उत्पादन पर प्लास्टिक प्रदूषण शुल्क लगाने का समर्थन नहीं किया।
- **संतुलित संधि:** भारत ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और विकासशील देशों के सतत विकास की रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा।
- **वित्त का आकलन:** अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ पर्याप्त, समय पर और पूर्वानुमानित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का भी आकलन होना चाहिए।
- **ओवरलैपिंग से बचें:** संधि का दायरा वर्तमान बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के साथ ओवरलैप न करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए।

प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक क्या है?

- प्लास्टिक शब्द ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है "आकार देने या ढालने में सक्षम।"
- प्लास्टिक सिंथेटिक या अर्ध-सिंथेटिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जो पॉलिमर को मुख्य घटक के रूप में उपयोग करते हैं, उनकी परिभाषित गुणवत्ता उनकी प्लास्टिसिटी है - लागू बलों के जवाब में एक ठोस सामग्री की स्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता।
  - यह उन्हें बेहद अनुकूलनीय बनाता है, आवश्यकता के अनुसार आकार देने में सक्षम है।
- माइक्रोप्लास्टिक: प्लास्टिक अपनी छोटी इकाइयों में विखंडित हो जाता है जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है - आधिकारिक तौर पर पांच मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

भारत द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट

- भारत वर्तमान में विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, तथा प्रति वर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 20 प्रतिशत है।

प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने में भारत के प्रयास

- **एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध:** कई राज्यों में बैग, कप, प्लेट, कटलरी और स्ट्रॉ जैसी वस्तुओं के उत्पादन, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध।
- **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR):** प्लास्टिक निर्माताओं को अपने उत्पादों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन और निपटान करना अनिवार्य है।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** पुनर्चक्रण और अपशिष्ट से ऊर्जा पहल के लिए रूपरेखा।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022:**
  - एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध।
  - 75 माइक्रोमीटर से कम के कैरी बैग पर प्रतिबंध।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024:**
  - बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ऐसे प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया गया है जो कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ते।
  - डिस्पोजेबल प्लास्टिक के लेबल पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई माइक्रोप्लास्टिक अवशेष न हो।
- **स्वच्छ भारत अभियान:** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय अभियान।
- **प्लास्टिक पार्क:** प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण के लिए विशेष क्षेत्र।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:** भारत समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए MARPOL का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

भारत में लेविरेट विवाह (Levirate Marriages)

सन्दर्भ

- DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र (CDFD) ने हाल ही में DNA नमूने के माध्यम से एक परिवार में लेविरेट की प्रथा का पता लगाया।

परिचय

- **प्रथा:** लेविरेट एक सांस्कृतिक प्रथा है जिसमें एक विधवा अपने मृतक या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पति के भाई से विवाह करती है।
  - परिवार इस तरह की जानकारी को निजी रखना पसंद करेगा।
- **कारण:** अपने मृतक पति के भाई से विवाह करके, वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति और संसाधनों तक पहुँच बनाए रख सकती है।
  - मृतक के भाई से संतान पैदा करने की उम्मीद की जाती है जो परिवार की संपत्ति और नाम को विरासत में प्राप्त करेगी।
- **समुदाय:** आदिवासी संस्कृतियों में, जैसे कि भील, गोंड और कुछ अन्य स्वदेशी समूहों में, लेविरेट विवाह अधिक सामान्य थे।
  - हालांकि यह उतना सामान्य नहीं था, लेकिन कुछ हिंदू समुदायों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लेविरेट विवाह मौजूद था।
  - कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण आधुनिक समय में इसका प्रचलन कम हो गया है।

Source: TH

झील-प्रभावित हिमपात (Lake effect snow)

सन्दर्भ

- ग्रेट लेक्स से आने वाली झील-प्रभावित हिमपात ने मिशिगन, ओहियो, पेन्सिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है।

परिचय

- झील प्रभावित हिमपात ग्रेट लेक्स क्षेत्र में पतझड़ के अंत और सर्दियों के दौरान सामान्य है।
  - यह तब होता है जब कनाडा से आने वाली ठंडी हवा ग्रेट लेक्स के खुले पानी में बहती है।

झील प्रभावित हिमपात की प्रक्रिया

- जैसे ही ठंडी हवा ग्रेट लेक्स के जमे हुए और अपेक्षाकृत उष्ण पानी के ऊपर से गुजरती है, उष्ण एवं आर्द्र वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में स्थानांतरित हो जाती है। हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और एक संकीर्ण बैंड में विकसित होते हैं जो प्रति घंटे या उससे अधिक 2 से 3 इंच बर्फ उत्पन्न करता है।

भौगोलिक कारक

- झीलों और आस-पास के क्षेत्रों का भौतिक भूगोल बर्फबारी के वितरण को प्रभावित करता है।

- हवा की दिशा यह निर्धारित करती है कि किन क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जिससे तीव्र विरोधाभास उत्पन्न होता है; एक क्षेत्र में भारी बर्फबारी और सिर्फ़ एक मील दूर साफ़ आसमान।

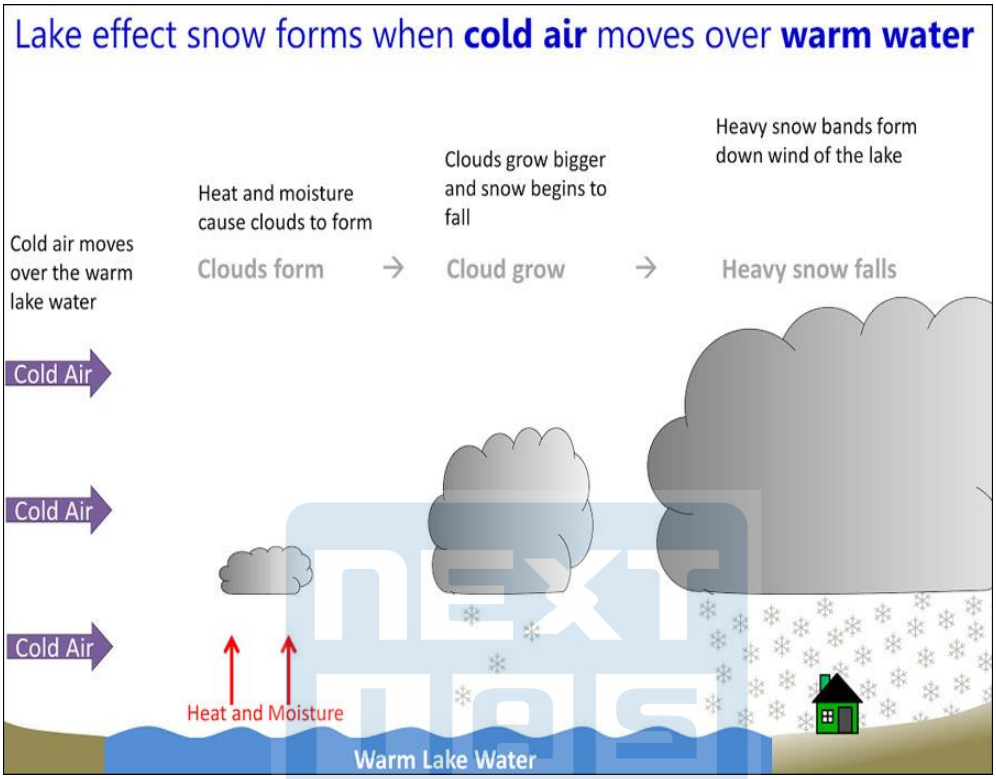

Source: NYT

मिशन शक्ति का संबल कार्यक्षेत्र

समाचार में

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति के संबल खंड के अंतर्गत लिंगानुपात और लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ।

मिशन शक्ति

- यह महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक योजना है।
- यह महिलाओं को उनके पूरे जीवन चक्र में प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने और सहयोग एवं नागरिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को समान भागीदार के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- इसमें दो उप-कार्यक्षेत्र शामिल हैं: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' और महिला सशक्तिकरण के लिए 'सामर्थ्य'।
    - **संबल** में वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (181-WHL) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) जैसी योजनाएं शामिल हैं।
    - **सामर्थ्य** में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (अब शक्ति सदन), कामकाजी महिला छात्रावास (अब सखी निवास), राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र (NHEW) और राष्ट्रीय क्रेच योजना (अब पालना) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक संयुक्त प्रयास है।
- इसका उद्देश्य लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक प्रथाओं को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है (केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण) और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी जिलों में लागू की गई है।

Source:TH

नेपाल, चीन ने BRI सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये

सन्दर्भ

- नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के कार्यान्वयन ढांचे पर हस्ताक्षर किए, जिससे संकेत मिलता है कि नेपाल जल्द ही कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं पर निर्णय लेगा।

परिचय

- नेपाल ने 2017 में BRI पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन यह नया निष्पादन ढांचा समझौता प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और परियोजना कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- दोनों देशों ने ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMDCN) के निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तत्परता व्यक्त की।
    - यह बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन, बिजली ग्रिड और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित है।

चिंताएं

- **ऋण जाल:** BRI में भाग लेने वाले अन्य देशों की तरह, नेपाल भी ऋण जाल में फंसने का जोखिम उठाता है, यदि परियोजनाएँ चीनी ऋणों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** नेपाल को चीन और भारत दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
    - BRI के तहत परियोजनाएँ, विशेष रूप से संवेदनशील सीमा क्षेत्रों के नज़दीक, भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

- चीन ने प्राचीन सिल्क रूट को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से 2013 में BRI का प्रस्ताव रखा था।
    - इस पहल का उद्देश्य एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ना है, जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों में व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- BRI में दो मुख्य घटक शामिल हैं: सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड।
    - सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट चीन और मध्य एशिया, यूरोप एवं पश्चिम एशिया के देशों के बीच संपर्क एवं सहयोग को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

- 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है।

Source: IE

ब्रेन रॉट(Brain Rot)

समाचार में

- "ब्रेन रॉट(brain rot)" शब्द को 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है।

ब्रेन रॉट के बारे में

- **अर्थ:** यह ऑनलाइन, विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुच्छ या चुनौतीपूर्ण सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं में कथित गिरावट का वर्णन करता है।
- "ब्रेन रॉट" की अवधारणा कई संज्ञानात्मक और मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से जुड़ी है:
  - **ध्यान अवधि में कमी**
  - **आलोचनात्मक सोच में कमी**
  - **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे**

Source: IE

अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक (HPI)

सन्दर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक (HPI) सितंबर 2024 तक 4.34% बढ़कर 322 हो गया, जबकि सितंबर 2023 में यह 308.6 था।
  - पिछले दस वर्षों में HPI में लगभग 67% की वृद्धि हुई है।

परिचय

- यह भारत भर में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपाय है।
- यह सूचकांक विभिन्न शहरों या क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के मूल्य परिवर्तनों को मापकर आवास बाजार की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।
- सभी आठ प्रमुख शहरों में आवास की कीमतों में वार्षिक वृद्धि देखी गई, जिसमें दिल्ली NCR में सबसे अधिक 32% की वृद्धि देखी गई, इसके बाद बेंगलुरु में 24% की वृद्धि हुई।

Source: IE

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए(Extrachromosomal DNA)

सन्दर्भ

- नेचर में प्रकाशित तीन शोधपत्रों में बताया गया है कि कैसे एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए कैंसर और दवा प्रतिरोध की प्रगति में योगदान देता है।

परिचय

- एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए से तात्पर्य उस डीएनए से है जो कोशिका में गुणसूत्रों के बाहर उपस्थित होता है।

  - गुणसूत्र डीएनए के विपरीत जो नाभिक (यूकेरियोटिक कोशिकाओं में) या न्यूक्लियॉइड क्षेत्र (प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में) में स्थित होता है, एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए स्वतंत्र रूप से या कोशिका के अंदर एक अलग संरचना में मौजूद होता है।
- कुछ कोशिकाओं, विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं में एक्स्ट्राक्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए (ecDNAs) होते हैं, जो छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो गुणसूत्र डीएनए से अलग होते हैं।
  - ये अणु कुछ जीन की कई प्रतियाँ ले जा सकते हैं और जीन के प्रवर्धन में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि दवा प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार जीन।
- गुणसूत्र डीएनए में जीव के विकास, कामकाज और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक निर्देशों का पूरा समुच्चय होता है।
  - यह जीव की अधिकांश आनुवंशिक जानकारी को वहन करता है, जो जीन में व्यवस्थित होती है, जो प्रोटीन और सेलुलर संरचनाओं के लिए निर्माण खंड हैं।
  - मनुष्यों में, गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में डीएनए का एक लंबा अणु होता है।

Source: TH

MH-60R हेलीकॉप्टर

समाचार में

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को MH-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए उन्नत उपकरणों की 1.17 बिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी दे दी है।

MH-60R हेलीकाप्टर उपकरण

- MH-60R ("Romeo") एक बहुमुखी हेलीकॉप्टर है जिसे पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह पनडुब्बियों और सतही जहाजों दोनों को निशाना बनाता है और जहाजों एवं तट-आधारित सुविधाओं दोनों से संचालित हो सकता है।
  - MH-60R टॉरपीडो, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेटों, हेलफायर मिसाइलों और मार्क 54 पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो से लैस है।
- उन्नत सेंसर से लैस, MH-60R में मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सहायता उपाय, इन्फ्रारेड कैमरे, डेटालिंक, डिपिंग सोनार और सोनोबॉय शामिल हैं।
- **भारत के लिए महत्व:** यह देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देगा।
  - यह सौदा भारत के रक्षा आधुनिकीकरण का समर्थन करता है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसके नौसैनिक संचालन को बढ़ाता है।

Source: TH

राफेल-मरीन (राफेल-M)

सन्दर्भ

- भारत जल्द ही फ्रांस से 26 राफेल-मरीन (राफेल-M) विमानों की प्रस्तावित खरीद को अंतिम रूप देने वाला है।

परिचय

- फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन एवं निर्मित, राफेल एक उन्नत 4+ पीढ़ी, ट्विन-इंजन, मल्टीरोल फाइटर जेट है और नवीनतम हथियार प्रणालियों से लैस है - जिसमें उल्का-दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हैमर हवा से सतह पर मार करने वाली स्मार्ट हथियार प्रणाली और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें शामिल हैं।
- जेट का समुद्री संस्करण (राफेल-M) थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वे समुद्र में विमान वाहक से संचालित होंगे। अंतर में फोल्डेबल पंख, वाहक पर उतरने के लिए एक लंबा एयरफ्रेम और वाहक पर गिरफ्तार लैंडिंग के लिए एक टेल हुक शामिल हैं।

Rafale M vs Rafale: How are they different

Feature	Rafale M	Rafale
Airframe	Strengthened for carrier landings	Standard airframe
Wing	Foldable	Non-foldable
Tailhook	Yes	No
Radar	Maritime-optimized	Standard radar
Weapons	Wider range of weapons, including anti-ship missiles	Standard range of weapons
Mission	Carrier operations	Air superiority, ground attack, air-to-air refueling

Source: IE

दक्षिण कोरिया

समाचार में

- दक्षिण कोरिया में विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति यून सूक येओल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि उन्होंने विवादास्पद रूप से मार्शल लॉ लागू किया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

दक्षिण कोरिया (सियोल) के बारे में

- **अवस्थिति और भूगोल:**
  - **क्षेत्र:** पूर्वी एशिया।
  - **भौगोलिक स्थिति:** कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग पर स्थित है।
- **शासन:**
  - **शासन प्रणाली:** लोकतांत्रिक ढांचे के साथ राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन प्रणाली।
- **स्थलीय सीमाएँ:**

- उत्तर कोरिया के साथ इसकी सीमा कोरियाई विसैन्यीकृत क्षेत्र (DMZ) द्वारा विभाजित है, जो विश्व की सबसे अधिक सुरक्षायुक्त सीमाओं में से एक है।

- **समुद्री सीमाएँ:**
  - पीला सागर (पश्चिम में)
  - जापान सागर (दक्षिण कोरिया में पूर्वी सागर के रूप में संदर्भित) पूर्व में
  - पूर्वी चीन सागर (दक्षिण में)
- **नदियाँ:**
  - हान नदी: यह राजधानी सियोल से होकर बहती है और देश के लिए एक प्रमुख जलमार्ग है।
  - नाकडोंग नदी: दक्षिण कोरिया की सबसे लंबी नदी, जो कृषि और जल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है।

Source: TH

■■■■